

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांक :-6ए/वि01-1041/2020- 189  
सेवा में,

पटना 15 ,दिनांक- 10.2.26

कार्यपालक अभियंता (मो0-2)-  
सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
बिहार, पटना।

~~विषय- मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई -उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-2215017890104 विषय शीर्ष-0104.31.05-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत 8.00 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।~~

आदेश-वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न विवरणी के स्तम्भ-2 में अंकित कार्यालय को स्तम्भ-5 में अंकित राशि कुल 8.00 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र० सं०	पदनाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	कार्य का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			राशि (लाख रुपये में)			
1	कार्यपालक अभियंता (मो0-2) -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के सभी परिवारों को नल का जल देने हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना" का सपोर्ट फंड	0.00	8.00	8.00	विभागीय संकल्प संख्या-2969 दिनांक- 22.12.2017

(आठ लाख रुपये) मात्र।

2. यह व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई -उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-2215017890104 विषय शीर्ष-0104.31.05-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारितव्य होगा।


4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2969 दिनांक-22.12.2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/(वि02) दिनांक-17.04.1998 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के अनुज्ञेय सीमा के ही अधीन वित्त विभाग के पत्रांक-एम0-4-53/2190 दिनांक-17.03.2008 में दिये गये निदेश के आलोक में ही व्यय किया जाय।

6. आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन भी किसी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

7. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या-5537 दिनांक-24.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता (मो0-2)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी, यह राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या-PNB PLA 006, विपत्र कोड-K8448001200041 में अंतरण किया जायेगा।

8. आवंटित राशि की सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।




(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक-6ए/वि01-1041/2020- 189 पटना, दिनांक - 10. 2. 2020  
प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार, पटना/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त निदेशक (जल जीवन मिशन)/बजट पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/कार्यपालक अभियंता, (मो0-2)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित/लेखा शाखा/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/आई0 टी0 मैनेजर/(बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी-6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)